



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 08-08 हजार रुपये जुर्माने की सजा ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में थाना जसपुरा क्षेत्र अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि जनपद हमीरपुर की रहने वाली मुन्नी देवी ने दिनांक 04.06.2021 को थाना जसपुरा पर सूचना दी कि उन्होंने अपनी पुत्री सोनी की शादी थाना जसपुरा क्षेत्रान्तर्गत खैरी मजरा ग्राम गड़रिया में की थी जिसको उसके घरवालों ने दहेज के लिये प्रताड़ित कर दिनांक 03.06.2021 को जान से मार दिया । इस सम्बन्ध में थाना जसपुरा में मु0अ0सं0 55/21 धारा 498ए/304बी/316 भादवि 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर श्री सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 02.09.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्री विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर पाल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहरीर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी वीरप्रताप के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

अभियुक्त-

1. रविकरण पुत्र कुँवरा निवासी खैरी मजरा, गड़रिया थाना जसपुरा जनपद बांदा ।
2. रमदेइया पति कुँवरा निवासी खैरी मजरा, गड़रिया थाना जसपुरा जनपद बांदा ।



अभियोजक
श्री विजय बहादुर सिंह



अभियोजक
श्री उमाशंकर पाल



विवेचक
पु0उपा0 श्री सत्य प्रकाश शर्मा



कोर्ट मोहरीर
आ0 देवेन्द्र सिंह



पैरोकार
आ0 वीर प्रताप